भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1307
दिनांक 03 दिसम्बर, 2024/ 12 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

नये दांडिक कानून

†1307. श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिलः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने 1 जुलाई, 2024 को नए दांडिक कानूनों के प्रभावी होने के बाद से इसके कार्यान्वयन की समीक्षा की है;
(ख) यदि हां, तो नये दांडिक कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने में हुई प्रगति और जमीनी स्तर पर आई चुनौतियों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने नये दांडिक कानूनों को लागू करने में पुलिस और विधि अधिकारियों की अनुकूलनशीलता और तत्परता का मूल्यांकन किया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रगति का ब्यौरा क्या है तथा पुलिस एवं विधि अधिकारियों के समक्ष क्या चुनौतियां हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (घ): धारा 106 की उप-धारा (2) के सिवाय भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की प्रथम अनुसूची में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106(2) से संबंधित प्रविष्टि के सिवाय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (बीएसए) के प्रावधान 1 जुलाई, 2024 से लागू हो गए हैं।

लोक सभा अता.प्र.स. 1307 दिनांक 03.12.2024

सरकार ने 25 दिसम्बर, 2023 को तीन कानूनों की अधिसूचना के तुरंत बाद निम्नलिखित कदम उठाए हैं ताकि प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके और पुलिस, कारागार, अभियोजकों, न्यायिक, फॉरेंसिक कार्मिकों जैसे सभी स्टेकहोल्डरों के साथ-साथ आम लोगों के बीच जागरूकता पैदा की जा सके।

i) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने सभी स्टेकहोल्डरों अर्थात पुलिस, कारागार, अभियोजकों, न्यायिक अधिकारियों, फोरेंसिक विशेषज्ञों तथा केंद्रीय पुलिस संगठनों के क्षमता निर्माण के लिए 13 प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित एवं साझा किए हैं। बीपीआरएंडडी ने 351 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/वेबिनार/सेमिनार भी आयोजित किए हैं और मास्टर ट्रेनर्स सहित 52,879 अधिकारियों/कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। बीपीआरएंडडी ने नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन में क्षेत्रीय कार्मिकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर देने और मुद्दों का समाधान करने के लिए कानून एवं पुलिस अधिकारियों की एक टीम के साथ मिलकर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भी बीपीआरएंडडी के साथ समन्वय से 10,81,819 कारागार, फोरेंसिक, न्यायिक एवं अभियोजन पक्ष के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया है, जिनमें 10,49,895 पुलिस अधिकारी शामिल हैं।

ii) आईजीओटी (iGOT)- कर्मयोगी भारत पोर्टल 21 फरवरी, 2024 से नए आपराधिक कानूनों के संबंध में अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए तीन पाठ्यक्रम [बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए का परिचय] चला रहा है। इन पाठ्यक्रमों की दिनांक 24.10.2024 तक की समग्र स्थिति निम्नानुसार हैः

क) कम से कम एक पाठ्यक्रम पूरा करने वाले अधिकारी: 3,90,925

ख) तीनों पाठ्यक्रम पूरा करने वाले अधिकारी: 2,34,918

iii) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने मौजूदा अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली (सीसीटीएनएस) एप्लीकेशन में 23 कार्यात्मक संशोधन किए हैं और यह नई प्रणाली में निर्बाध परिवर्तन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। एनसीआरबी द्वारा नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की निरंतर समीक्षा एवं सहायता के लिए 36 सहायता टीमें और कॉल सेंटर बनाए गए हैं। नए आपराधिक कानूनों को समझने में मदद के लिए एक मोबाइल और वेब एप्लीकेशन, 'आपराधिक कानूनों का एनसीआरबी संकलन' तैयार की गई है, जो पुराने तथा नए कानूनों के बीच समन्वय का काम करेगी।

iv) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) ने अपराध स्थलों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की सुविधा; इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से न्यायिक सुनवाई तथा वारंट और सम्मन की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डिलीवरी के लिए ई-साक्ष्य, न्यायश्रुति तथा ई-समन ऐप विकसित किए हैं और इन्हें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ साझा किया है।

v) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा नए आपराधिक कानूनों पर नियमित प्रशिक्षण भी दिया गया है।

vi) नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर (14415) के साथ सीसीटीएनएस तकनीकी सहायता कॉल सेंटर की स्थापना की गई है।

vii) प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी), ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ने नए आपराधिक कानूनों से संबंधित एडवाइजरी, समाचार बुलेटिन, कार्यक्रम, चर्चा, प्रेस रिलीज और इंफोग्राफिक्स आदि का प्रकाशन करके प्रेस तथा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रचार संबंधी विस्तृत उपाय किए हैं।

viii) माईगव (MyGov) ने ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया वेबसाइट पर और माईगव के सभी सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से सूचना संदेश (इंफोरमेटिव फ्लायर्स) अपलोड किए हैं। आम नागरिकों की जागरूकता के लिए 19 फरवरी, 2024 और 26 जून, 2024 को लगभग 7+ करोड़ लोगों को एक ईमेल भेजा गया। माईगव ने नए आपराधिक कानूनों के संबंध में जागरूकता फैलाने और नागरिक सहभागिता के लिए 14 मार्च, 2024 से 13 सितंबर, 2024 तक 7 प्रश्नोत्तरी भी आयोजित कीं।

ix) नए आपराधिक कानूनों के बारे में संकाय सदस्यों और विद्यार्थियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 1,200 विश्वविद्यालयों और 40,000 कॉलेजों को सूचना संदेश (इंफोरमेटिव फ्लायर्स) परिचालित किए हैं और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने लगभग 9,000 संस्थानों को पत्र लिखे। उच्चतर शिक्षा संस्थानों ने विद्यार्थियों, संकाय सदस्यों और अन्य कर्मचारियों की व्यापक सहभागिता के साथ बड़े परिवर्तन को प्रदर्शित करते हुए 1 जुलाई, 2024 को नए आपराधिक कानूनों के विभिन्न प्रावधानों पर केंद्रित समूह वार्तालापों, कार्यशालाओं, सेमिनारों और क्विज सहित पूर्ण दिवसीय गतिविधियों का आयोजन भी किया है।

x) यह सुनिश्चित करने के लिए कि आम नागरिक परिवर्तनकारी सुधारों और आम नागरिकों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों पर इसके सकारात्मक प्रभाव पड़ने के बारे में जागरूक हों, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय ने संयुक्त रूप से 21 जून, 2024 को नए आपराधिक कानूनों पर हिंदी में एक वेबिनार आयोजित किया, जिसमें जमीनी स्तर के लगभग 40 लाख कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। 25 जून, 2024 को अंग्रेजी में एक दूसरा वेबिनार आयोजित किया गया है, जिसमें जमीनी स्तर के लगभग 50 लाख कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

xi) विधिक कार्य विभाग ने नई दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, चेन्नई और मुम्बई में पांच सम्मेलन आयोजित किए है, जिनमें विभिन्न राज्यों की पुलिस, न्यायपालिका, अभियोजन, कारागार के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने नए आपराधिक कानूनों को सफलतापूर्वक लागू किया है और 25 नवंबर, 2024 तक इन कानूनों के तहत 13,87,396 एफआईआर दर्ज भी की जा चुकी हैं।

******